रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082026-275625
CG-DL-E-20082026-275625

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948
No. 675] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 741(अ).— कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 25क के साथ पठित धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (एमए) और (एमबी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- इन नियमों को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2026 कहा जा सकेगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ.- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

क. "अधिनियम" से तात्पर्य कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) से है;

ख. "न्यायनिर्णायन अधिकारी" से तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे अधिनियम की धारा 25क के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया हो;

ग. "अपीलकर्ता" से तात्पर्य ऐसे किसी पीड़ित व्यक्ति से है जो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील करता है;

घ. "अपीलीय प्राधिकारी" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 25क की उप-धारा (2) के तहत नामित प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;

ङ. "शिकायतकर्ता" से तात्पर्य ऐसे किसी पीड़ित व्यक्ति से है जो न्यायनिर्णायन अधिकारी के समक्ष कोई शिकायत दर्ज करता है;

च. "प्रपत्र" से तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न किसी प्रपत्र से है;

छ. "धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।

(2) जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग इन नियमों में किया गया है और जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके वही अर्थ होगें जो क्रमशः अधिनियम में उनके लिए निर्धारित किए गए हैं।

3. जाँच का आयोजन.- (1) अधिनियम की धारा 25क के तहत शास्तियों के न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से, उसमें विनिर्दिष्ट प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को प्रपत्र-I में एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे ऐसी अवधि के भीतर कारण बताने की अपेक्षा होगी जो उसमें निर्दिष्ट की जा सकती है (उसकी सेवा की तारीख से सात दिन से कम नहीं होगी) कि उसके विरूद्ध जांच क्यों न की जाए।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रत्येक नोटिस में कथित रूप से किए गए उल्लंघन की प्रकृति का उल्लेख होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति द्वारा कारण बताए जाने पर, यदि कोई हो, और उस पर विचार करने के बाद, यदि न्यायनिर्णायन अधिकारी की यह राय है कि जाँच की जानी चाहिए, तो वह एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से नोटिस में निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।

(4) निर्धारित तिथि पर, न्यायनिर्णायन अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध कार्यवाही की गई है या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को, उसके द्वारा किए गए कथित उल्लंघन और अधिनियम के उस प्रावधान के बारे में समझाएगा, जिसके संबंध में उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

(5) न्यायनिर्णायन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, जिन्हें वह जांच के लिए प्रासंगिक समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को किसी अन्य तिथि (प्रथम तिथि से पंद्रह दिन के भीतर तथा अधिकतम तीन तिथियों तक) के लिए स्थगित किया जा सकेगा और ऐसे साक्ष्य लेते समय न्यायनिर्णायन अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 47) के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(6) इन नियमों के अधीन जांच करते समय न्यायनिर्णायन अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता लागू कर सकता है और उसे बाध्य कर सकता है, जो न्यायनिर्णायन अधिकारी की राय में जांच के विषय के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है

(7) यदि कोई व्यक्ति उप नियम (3) के अधीन अपेक्षित रूप से न्यायनिर्णायन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इनकार करता है, तो न्यायनिर्णायन अधिकारी ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी अनुपस्थिति में जांच के साथ आगे बढ़ सकता है।

(8) साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात, यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उल्लंघन किया है तो वह लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत शास्ति लगा सकता है।

(9) उप-नियम (8) के तहत किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उस प्रावधान को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है तथा उसमें शास्ति अधिरोपित करने के कारण भी अंतर्विष्ट होंगे।

(10) इस नियम के तहत किये गये आदेश की एक प्रति तथा कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां उस व्यक्ति को निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी जिसके विरूद्ध जांच की गयी थी।

(11) न्यायनिर्णायन अधिकारी उस व्यक्ति को नोटिस जारी करने की तिथि से छह महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा, जिसके विरुद्ध जांच की गई थी।

(12) इन नियमों के तहत जारी किया गया नोटिस या आदेश उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध जांच की गई है, निम्नलिखित किसी भी तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात:

(क) उस व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को इसे सौंपकर या प्रस्तुत करके; या

(ख) उस व्यक्ति को इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या पंजीकृत डाक द्वारा और उसके निवास-स्थान के पते पर वितरण के प्रमाण सहित या उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान के पते पर भेजकर या उस स्थान पर जहां वह व्यवसाय करता था या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता था या लाभ के लिए अंतिम कार्य करता था; या

स्पष्टीकरण-इस खंड के नियम 4 के उप-नियम (4) तथा उप-नियम (9) प्रयोजनों के लिए, 'इलेक्ट्रॉनिक रूप' अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (आर) में प्रदान किया गया है।

(ग) यदि इसे खंड (क) या (ख) के तहत विनिर्दिष्ट तरीके से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, तो इसे बाहरी दरवाजे पर या उस परिसर के किसी अन्य विशिष्ट भाग पर चिपकाकर, जिसमें वह व्यक्ति रहता है या जिसके बारे में ज्ञात है कि उसने अंतिम बार निवास किया था या व्यवसाय किया था या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता था या लाभ के लिए कार्य करता था।

4. अपील .-- (1) इन न्यायनिर्णायन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, प्रपत्र-II में अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

(2) अपील आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर की जाएगी:

बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से निर्धारित अवधि के भीतर अपील दाखिल करने मे असमर्थ था।

(3) अपील के साथ नियम 3 के उप-नियम (8) के अन्तर्गत जारी आदेश की प्रति तथा जिन तथ्यों के विरूद्ध अपील की गई है उनका स्पष्ट विवरण, अपील के आधार तथा अधिनियम की सुसंगत धारा संलग्न की जाएगी।

(4) अपील अपीलकर्ता द्वारा स्वयं या इस संबंध में लिखित रूप में विधिवत नियुक्त उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, या पंजीकृत डाक और डिलिवरी के प्रमाण द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दायर की जाएगी।

(5) डाक द्वारा भेजी गई अपील को उस दिन अपीलीय प्राधिकारी को दायर किया गया माना जाएगा जिस दिन वह प्राप्त होती है।

(6) यदि जांच करने पर अपील सही पाई जाती है, तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा और यदि अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को उन त्रुटियों के बारे में सूचित करेगा और उसे पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर उन त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देगा।

(7) यदि अपीलकर्ता उप-नियम (6) के अंतर्गत अनुमत समय सीमा के भीतर त्रुटियों को सुधारने में विफल रहता है, तो अपीलीय प्राधिकारी आदेश द्वारा और लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसी अपील को पंजीकृत करने से अस्वीकार कर सकता है और आदेश की सूचना सात दिनों की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को देगा।

(8) अपील स्वीकार होने पर, अपीलीय प्राधिकारी उस व्यक्ति को अपील की एक प्रति देगा जिसके विरूद्ध अपील की मांग की गई है, साथ ही एक नोटिस भी देगा जिसमें उसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उक्त नोटिस में निर्धारित की जाने वाली अवधि, जो तीस दिनों से अधिक नहीं होगी, के भीतर अपना जवाब दाखिल करने की आवश्यकता होगी।

(9) नोटिस व्यक्तिगत रूप से या पंजीकरण और वितरण के प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक रूप के माध्यम से दिया जा सकता है।

(10) अपीलीय प्राधिकारी संबंधित न्यायनिर्णायन अधिकारी से कार्यवाही से संबंधित रिकॉर्ड मांग सकता है।

(11) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

(12) अपीलीय प्राधिकारी अपील दायर करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

5. **अवधि का विस्तार** - न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, जहां देरी या कार्रवाई करने में विफलता के लिए कोई उचित कारण है, इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी भी अवधि को तब तक के लिए बढ़ा सकता है जब तक वह उचित समझे।

6. **आदेश और शास्तियां**)-1) इन नियमों के अंतर्गत प्रत्येक आदेश, हस्ताक्षरित और दिनांकित होगा और सभी संबंधित पक्षकारों को इससे सूचित किया जाएगा।

(2) इन नियमों के तहत शास्तियों के रूप में वसूली गई सभी राशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी।

प्रपत्र-I

[नियम 3 के उप-नियम (1) का संदर्भ लें]

सेवा में,

.....

.....

.....

कारण बताओ नोटिस

विषय: कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 का उल्लंघन।

महोदय/महोदया,

दिनांक _____ की सूचना के अनुसार (प्रति संलग्न), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा _____ के अंतर्गत _____ पर उल्लंघन किया गया है।

2. उपरोक्त उल्लंघन दंडनीय है। अतः आपको इस नोटिस के प्राप्त होने के _____ दिनों की अवधि के भीतर कारण बताना होगा कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 25ए के तहत आपके विरूद्ध दंड अधिरोपित किए जाने के लिए आपके विरुद्ध जांच क्यों न प्रारंभ की जाए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपके विरुद्ध आगामी कार्रवाई की जाएगी।

न्यायनिर्णायन अधिकारी

दिनांक एवं स्थान..... :

प्रपत्र-II

अपील

[नियम 4 के उप-नियम (1) का संदर्भ लें]

सेवा में,

अपीलीय प्राधिकारी,

.....

.....

.....

1. अपीलकर्ता का विवरण:

(i) नाम:

(ii) पत्राचार हेतु पता:

(iii) संपर्क नंबर:

(iv) ई:मेल-

2. अपील के आधार:

(न्यायनिर्णायन अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न की जाएगी)

3. न्यायनिर्णायन अधिकारी के आदेश की तिथि:

4. तथ्यों का विवरण:

मैं/हम, ..., अपीलकर्ता, एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करते हैं कि उक्त वर्णित तथ्य मेरी/हमारे ज्ञान, जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

5. अपीलकर्ता के हस्ताक्षर एवं दिनांक:

6. अपीलकर्ता का नाम:

[फा. सं. 6/6/2024-ईपी (एग्री. IV)]

प्रिया पी. नायर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2026

G.S.R. 741(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (ma) and (mb) of sub-section (2) of section 32 read with section 25A of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), the Central Government, hereby, makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement. — These rules may be called the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Adjudication of Penalties) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

a. "Act" means the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986);

b. "adjudicating officer" means an officer appointed by the Chairman under section 25A of the Act;

c. "appellant" means an aggrieved person who prefer an appeal before the Appellate Authority;

d. "appellate authority" means the Chairman of the Authority designated under sub-section (2) of section 25A of the Act;

e. "complainant" means an aggrieved person who makes a complaint before the adjudicating officer;

f. "form" means a form appended to these rules;

g. "section" means section of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Holding of inquiry. — (1) For the purpose of adjudication of penalties under section 25A of the Act, on receipt of any complaint of any contravention of the provisions specified therein, the adjudicating officer shall, issue a notice in Form-I to such person, requiring him to show cause within such period as may be specified therein (being not less than seven days from the date of service thereof) as to why an inquiry should not be held against him.

(2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.

(3) After considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a representative duly authorised by him on such date and time as may be fixed in the notice.

(4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the contravention committed by such person and the provision of the Act, in respect of which contravention is alleged to have been committed.

(5) The adjudicating officer shall give an opportunity to such person to produce documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to any other day (not later than fifteen days from the first date and up to a maximum of three dates) and in taking such evidence, the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).

(6) While holding an inquiry under these rules, the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(7) If any person fails, neglects or refuses to appear before the adjudicating officer as required under subrule (3), he may proceed with the inquiry in his absence after recording the reasons for doing so.

(8) Upon consideration of the evidence, if the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may by order in writing, impose such penalty under the provisions of the Act.

(9) Every order made under sub-rule (8) shall specify the provisions of the Act in respect of which the contravention has been committed and the reasons for imposing the penalty.

(10) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be furnished free of cost to the person against whom the inquiry was held.

(11) The adjudicating officer shall complete the proceeding within six months from the issuance of the notice to the person against whom the inquiry was held.

(12) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in the following manner, namely: –

a. by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or

b. by sending it to the person through electronic form or by speed post with registration and proof of delivery to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or

   Explanation. - For the purposes of this clause, sub-rule (4) and sub-rule (9) of rule 4, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

c. if it cannot be served in the manner specified under clause (a) or clause (b), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain.

4. Appeal. — (1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer, may prefer an appeal to the appellate authority in Form- II.

(2) The appeal shall be filed with the appellate authority within a period of thirty days from the date of receipt of the order:

Provided that the appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days, if he is satisfied that that appellant was prevented by sufficient cause from filing appeal in time.

(3) The appeal shall be accompanied by a copy of order issued under sub-rule (8) of rule 3 and a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant section of the Act.

(4) The appeal shall be filed by the appellant in person or by his duly authorised representative in writing duly appointed in this behalf, or by speed post with registration and proof of delivery or through electronic form.

(5) The appeal sent by post shall be deemed to have been filed to the appellate authority on the day it is received.

(6) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and in case the appeal is found to be defective, the appellate authority shall intimate the appellant about the defects and allow him to rectify the defects within a period of fifteen days.

(7) If the appellant fails to rectify the defects within the time period allowed under sub-rule (6), the appellate authority may by order and reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and communicate the order to the appellant within a period of seven days thereof.

(8) On admission of the appeal, the appellate authority shall serve a copy of appeal upon the person against whom the appeal is sought along with a notice requiring him to file his reply thereto, within such period, not exceeding thirty days, as may be stipulated by the appellate authority in the said notice.

(9) The notice may be served by hand or by speed post with registration and proof of delivery or through electronic form.

(10) The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the respective adjudicating officer.

(11) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as he may consider reasonable.

(12) The appellate authority shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing of appeal.

5. Extension of time. — The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in these rules till such period as he considers reasonable.

6. Order and penalties. — (1) Every order under these rules shall be signed and dated, and shall be communicated to all parties concerned.

(2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India.

Form - I

[See sub-rule (1) of rule 3]

To

Show cause notice

Subject: – Contravention of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985.

Sir/Madam,

As per intimation dated _____ (copy enclosed), a contravention has been committed under section _____ of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 at _____.

2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of _____days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under section 25A of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, further action shall be taken under the said Act.

Date and place.....

Adjudicating officer

Form – II

Appeal

[See sub-rule (1) of rule 4]

To

Appellate Authority,

……

……

……

1. Particulars of appellant:

(i) Name:

(ii) Address for correspondence:

(iii) Contact No:

(iv) E -mail:

2. Grounds of appeal:

(A copy of order of adjudicating officer to be enclosed)

3. Date of order of the adjudicating officer:

4. Statement of facts:

I/We..., the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.

5. Signature of appellant and date:

6. Name of appellant:

[F.No. 6/6/2024-EP (Agri. IV)]

PRIYA P. NAIR, Economic Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.08.20 22:13:19 +05'30'